

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 17/2026 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

महेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

राकेश (मालिक/विक्रेता) पुत्र मोहनसिंह मैसर्स राकेश मिष्ठान भण्डार सूरजपोल चौराहा भरतपुर निवासी कम्पनी बाग कॉलोनी नये हांस्पीटल के पीछे भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2)(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित :

1. प्रार्थी स्वयं
2. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 22.04.2026

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26(2)(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 07.04.2026 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक 22.04.2026 को गैरसायल उपस्थित। इस्तगसा की नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगसा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 05.08.2025 को दोपहर 12.15 बजे गैरसायल की दुकान मैसर्स राकेश मिष्ठान भण्डार सूरजपोल चौराहा भरतपुर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की उक्त दुकान पर आम जनता के इस्तेमाल के लिये विक्रय हेतु दुकान में रखी हुई स्टील की परात में लगभग 5 किग्रा दही रखा हुआ पाया गया। जिनमें मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक भरतपुर की जांच रिपोर्ट एलएस/779/एक्ट/2025/799 दिनांक 18.08.2025 द्वारा उक्त दही का नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का दही विक्रय करके एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii)का उल्लंघन किया गया है।

आरोघों को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायल की फर्म मैसर्स राकेश मिष्ठान भण्डार सूरजपोल चौराहा

५७
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

भरतपुर से दही की जांच हेतु नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषण भरतपुर की जांच रिपोर्ट में अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। दही की जांच रिपोर्ट में हानिकारक माना जाकर अवमानक स्तर का पाया गया है। गैरसायल द्वारा यह त्रुटि सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैरसायल की यह प्रथम गलती है, जिसके लिये गैरसायल भविष्य में सावधानी पूर्वक देखभाल करके ही कोई प्रोजेक्ट का विक्रय करेगा। इसलिये गैरसायल के प्रति नरम रुख अपनाते हुये कार्यवाही की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर मनन किया गया। दिनांक 05.08.2025 को दोपहर 12.15 गैरसायल की दुकान मैसर्स राकेश मिष्ठान भण्डार सूरजपोल चौराहा भरतपुर दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की फर्म पर आम जनता के विक्रय दुकान में रखी हुई स्टील की परात में लगभग 5. किग्रा दही रखा हुआ पाया गया खाद्य विश्लेषक भरतपुर की जांच रिपोर्ट एलएस/779/एक्ट/2025/799 दिनांक 18.08.2025 द्वारा उक्त दही का नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ स्तर (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। दौराने सुनवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं सावधानी पूर्वक फूड प्रोजेक्ट का विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं किये जाने की चेतावनी गैरसायलान को दी जाती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर गैरसायल को 13,5,00/-रुपये (तेरह हजार पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ़तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

५१
(घनश्याम शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)